जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

बिहार सरकार

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
An ISO 9001:2008 Certified Agency
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

206

संचिका संख्या - SHSB/PM/298/11
पत्रांक.................................

सेवा में,

सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -सह- सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति

पटना, दिनांक.........................

विषय : राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के दर अनुबंधित औषधियों के क्रय राशि से testing charge के रूप में कटौती की गयी राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के खाता में जमा करने के संबंध में।

प्रसंग : राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक 9895 दिनांक 12.12.2013 एवं पत्रांक 7412 दिनांक 25.09.2014

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया था कि जिलों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में औषधियों एवं चिकित्सीय उपस्करों के क्रय के निमित्त राज्य स्वास्थ्य समिति के दर अनुबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्र की कुल राशि से 2% राशि testing charge के रूप में कटौती कर उस राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

2. विदित है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 29695 दिनांक 27.08.2011, पत्रांक 30168 दिनांक 16.09.2011, पत्रांक 32413 दिनांक 14.12.2011, पत्रांक 32783 दिनांक 27.12.2011 द्वारा औषधियों एवं विभिन्न चिकित्सीय सामग्रियों के क्रय हेतु Drug Round-VIII के तहत किये गये दर अनुबंध की संसूचना सभी जिलों को दी गयी थी। उक्त संदर्भित पत्र के Terms and Condition के कंडिका 08.11 में अंकित "Samples of drugs of each batch will be taken for test/analysis by the Drug Inspector from company's Godown-cum Store / District Drug Store / Medical College Hospital Store. For this purpose every selected supplier company shall inform in writing the concerned Drug Inspector for taking sample, as soon as the consignment of drugs reaches the company's godown-cum-store situated in Patna. A sum of 2% of total bill amount, exclusive of sales tax, shall be deducted from the bills of the supplies of the medicine towards testing charges of the drugs." प्रावधान के अनुरूप राज्य स्वास्थ्य समिति के दर अनुबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्र की कुल राशि से 2 प्रतिशत की राशि की कटौती किया जाना अनिवार्य है।

3. Drug Round-VIII के दर अनुबंध से प्रावधानित इस प्रक्रिया को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के Drug Round-IX तथा औषधियों के क्रय के निमित्त किये गये दर अनुबंध की शर्तो में निहित रखते हुये आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्र की कुल राशि से दो प्रतिशत की राशि testing charge के रूप में कटौती करने की बाध्यता है। अतएव आपूर्तिकर्त्ताओं के प्रत्येक विपत्र से दो प्रतिशत की राशि की कटौती कर राज्य स्वास्थ्य समिति को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अर्थात सिविल सर्जन/अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्वतः है।

205

4. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यालय पत्रांक 9895 दिनांक 12.12.2013 द्वारा निदेशित किया गया था कि "आपूर्तिकर्त्ता के विपत्रों से दवाओं की गुणवत्ता जाँच मद में कटौती की गयी 2% राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें तथा इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं व्यादेशकर्त्ता पदाधिकारी की होगी" (छायाप्रति संलग्न)। पुनः राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यालय पत्रांक 7412 दिनांक 25.09.2014 द्वारा स्मारित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

5. उक्त तथ्यों के आलोक में निदेशित है कि दर अनुबंध के प्रावधानों तथा राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 9895 दिनांक 12.12.2013 एवं पत्रांक 7412 दिनांक 25.09.2014 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दो सप्ताह के अंदर इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये कि तत्समय राज्य स्वास्थ्य समिति के दर अनुबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं से क्रय की गयी औषधियों एवं चिकित्सीय सामग्रियों के प्रत्येक विपत्र से दो प्रतिशत की राशि की कटौती कर कुल राशि राज्य स्वास्थ्य समिति को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर दी गयी है।

6. निर्धारित समय-सीमा के अंदर वाँछित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अग्रेत्तर कार्रवाई करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)

ज्ञापांक 6706 पटना, दिनांक 06/10/15

प्रतिलिपिः-

- सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं निदेश है कि संबंधित जिलों से समन्वय स्थापित कर तत्संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाये।
- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनाथ्र एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/x

(कार्यपालक निदेशक)